भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3613
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

उच्च शिक्षण संस्थानों में संकायों की रिक्तियां

3613. **श्री संजय उत्तमराव देशमुखः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), विश्वविद्यालयों, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु और देशभर के सुपर स्पेशियलिटी एवं चिकित्सा संस्थानों में संकायों और गैर-संकाय के स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान रिक्त पड़े संकाय और गैर-संकाय पदों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में शिक्षकों और संकाय सदस्य को अधिगम की प्रक्रिया का मुख्य भाग बताया गया है तथा इसे व्यापक रूप से शिक्षा प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों में से एक बताया गया है**,** जिसमें भर्ती**,** सतत व्यावसायिक विकास**,** सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा शर्तें शामिल हैं।

अगस्त, 2021 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (सीएचईआई) से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी संस्थाओं में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सितंबर 2022 से**,** सभी सीएचईआई ने अनुसूचित जाति **(**एससी), अनुसूचित

जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सहित रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। अभी तक सभी सीएचईआई द्वारा मिशन मोड में 16,507 संकाय पदों सहित कुल 28,450 पद भरे जा चुके हैं। इसमें भरे हुए कुल पदों में एनआईटी में 6551, आईआईटी में 7092, आईआईआईटी में 565, आईआईएसईआर और आईआईएससी में 592 तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 12240 पद शामिल हैं।

पदों का सृजन, रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियाँ पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, योजनाओं या परियोजनाओं, बढ़ी हुई छात्र संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं और मौजूदा संस्थाओं में क्षमता विस्तार के कारण उत्पन्न होती हैं।

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सीएचईआई, जिनमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु और केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं, संसद के अपने-अपने संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संस्थान हैं और अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत बनाई गई संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों द्वारा शासित होते हैं।

इसी प्रकार, सुपर स्पेशियलिटीज और मेडिकल संस्थानों में पदों का सृजन एक सतत प्रक्रिया है, जो अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की उपलब्धता, आरक्षण रोस्टर, संस्थान के स्थान आदि पर निर्भर करता है। संस्थान आवश्यकतानुसार संविदा या आउटसोर्स आधार पर भी कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक एम्स में संकाय भर्ती के लिए स्थायी चयन समिति का गठन, एम्स के लिए जूनियर और सीनियर रेजिडेंट (शैक्षणिक) का चयन करने के लिए वर्ष में दो बार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईएनआई-सीईटी) और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान सुपर स्पेशियलिटी (आईएनआई-एसएस) परीक्षा आयोजित करना, एम्स और केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए एम्स दिल्ली द्वारा वर्ष में दो बार केंद्रीकृत नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (एनओआरसीईटी) आयोजित करना, और एम्स तथा केंद्र सरकार के अस्पतालों में समूह ख और ग के गैर-संकाय पदों के लिए एम्स दिल्ली द्वारा सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई) आयोजित करना शामिल है।

--*-*-*